



कार्यालय :- वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची।
वन भवन, ब्लॉक 'बी', डोरण्डा, राँची-834002

ई-मेल:- cf-ranchi@gov.in फ़ोन:-(0651)-2481814 मो:-8987790111

पत्रांक:-

दिनांक:-

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
राँची।

विषय- सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि) अर्पण के संबंध में।

प्रसंग- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.No. 8-62/2018-FC दिनांक 22.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में भारत सरकार के दिनांक 13.06.2022 का संपन्न हुई Forest Advisory Committee (FAC) की कार्रवाई में की गई तीन बिन्दुओं पर पृच्छा का अनुपालन प्रतिवेदन वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची ने अपने कार्यालय पत्रांक 3150 दिनांक 27.07.2022(छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को समर्पित की है, जिस पर वन संरक्षक का मतव्य निम्नवत् है:-

क्र० सं०	पृच्छा	वन प्रमण्डल पदाधिकारी का अनुपालन	वन संरक्षक का मतव्य
1.	The State Govt. after scrutiny of the relevant provisions of laws, will ascertain and inform the applicability of Forest (conservation) Act 1980 on the forestland acquired under CBA Act 1957], which has already been broken and still under the possession of the user agency i.e. still constituting the part of the project of the user agency.	आवेदित पूर्ण वनभूमि (वनभूमि जो कि 25.10.1980 के पूर्व खंडित है) जो कोयला खनन के लिए Coal bearing Area (Acquisition & Development) Act 1957 के अंतर्गत प्रयोक्ता अभिकरण के अधीन है, पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सभी प्रावधान लागू होंगे।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची का मतव्य से सहमत है।
2.	The IRO, Ranchi will carry out an in-depth examination of the issues related to unauthorized use of forestland allowed by the DFO concerned citing the justification of controlling the raging fires in the mining lease	इस विषय में एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, राँची पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी है।	इस विषय में भारत सरकार के एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय वन पर्यावरण, एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राँची द्वारा कार्रवाई की जानी है।

	of user agency and a report on the same supported with documentary evidences shall be submitted to the Ministry. IRO will coordinate with the concerned authorities in the state for carrying out an in-depth examination of the matter.		
3.	The State Government will re-visit the suitability of CA land especially in view of encroachment reported over an area of 6.03 acres.	अपयोजित होने वाले अधिसूचित वनभूमि एवं क्षतिपूरक वनरोपण हेतु दिये गये अधिसूचित वनभूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। बल्कि अपयोजित होने वाले गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी 42.37 हे० में से 06.03 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है, जो अंचल अधिकारी, खेलारी के पत्रांक 48(प) दिनांक 21.01.2022 से स्पष्ट है।	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची के मंतव्य से सहमत हूँ।

अतः अनुपालन प्रतिवेदन की पाँच प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु०:-यथोक्त।

आपका विश्वासी,
ह०/-
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।

ज्ञापांक :-

दिनांक :-

प्रतिलिपि:-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को अनुलग्नक की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:-यथोक्त।

ह०/-
वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।

ज्ञापांक :- 962 दिनांक :- 28/07/22

प्रतिलिपि:- वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची को उनके पत्रांक 3150 दिनांक 27.07.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।


वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, राँची।

o/c